

मंगल दास बनाम नौनिहाल सिंह, आदि, (तुली, जे।

रिविजनल सिविल
बलराज तुलसी, जे. के समक्ष
मंगल दास, - याचिकाकर्ता,
बनाम
नौनिहाल सिंह, आदि, - उत्तरदाता।
सिविल रिविजन 1969 की संख्या 321।
5 फरवरी, 1974।

वाद मूल्यांकन अधिनियम (1887 का 7) - धारा 3, 8, 9 और 11 - पंजाब उच्च न्यायालय के नियम और आदेश खंड 1, अध्याय 3-C, नियम 8 - विभाजन के लिए मुकदमा - अधिकार क्षेत्र मूल्य - क्या पूरी संपत्ति का मूल्य - मुकदमे के मूल्यांकन को मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई है- अपीलीय न्यायालय - क्या ऐसे मूल्यांकन के संबंध में आपत्तियों पर विचार किया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब उच्च न्यायालय के नियम और आदेश, खंड 1 के अध्याय 3-सी के नियम 8 के अनुसार, संपत्ति के विभाजन के लिए एक मुकदमे का क्षेत्राधिकार मूल्य वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 3, 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार पूरी संपत्ति के मूल्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए। वादी को संपत्ति के मूल्य पर अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्यांकन करना होगा, न कि अपने स्वयं के हिस्से पर और यह पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है कि उचित मूल्य का अनुपालन किया गया है या नहीं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए किसी मुकदमे के मूल्यांकन को ट्रायल कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई हो, लेकिन अपीलीय न्यायालय, मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 के तहत, वाद या अपील के अधिक मूल्यांकन और कम मूल्यांकन पर आपत्ति पर विचार कर सकता है यदि उसे लगता है कि अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन ने मुकदमे या अपील के निपटान को पूर्व-न्यायिक रूप से प्रभावित किया है। वाद दायर करते समय वाद में बताई गई संपत्ति के मूल्य को देखा जाना चाहिए, न कि उस मूल्य को जो कोर्ट ने जांच के बाद पाया है। जहां अपीलीय न्यायालय को अपनी क्षेत्राधिकार शक्ति से परे मूल्य मिलता है, वह उचित न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए अपील के ज्ञापन को सही ढंग से वापस कर सकता है क्योंकि इसका निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना होगा और पार्टियों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

श्री एस.आर. सेठ, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल, दिनांक 15 मार्च, 1969 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका, निर्णयों की प्रतियों और डिक्री शीटों के साथ ज्ञापन अपील को प्रस्तुति हेतु लौटाना उचित न्यायालय में क्योंकि वादी के शेयरों के संबंध में क्षेत्राधिकार 19,862 मूल्य रुपये आता है और उसके न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है श्री ए.के. जैन, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, करनाल की अदालत के दिनांक 30 तारीख के फैसले-डिक्री के खिलाफ दोनों अपीलों पर विचार करने के लिए नवंबर, 1966, जिसके तहत उन्होंने इस आशय का अंतिम डिक्री पारित किया कि वादी संख्या 4 के रूप में चिह्नित हिस्से का हकदार है और वह 1,880 रुपये का मुआवजा पाने का हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 को भाग संख्या 2 आवंटित किया गया है और वह 8,840 रुपये वसूलने का हकदार है। भाग क्रमांक 3 प्रतिवादी 2 और 3 को आवंटित किया गया और वे 3,900 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। भाग संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 4 को आवंटित किया गया है और, उसे 1,900 रुपये का भुगतान करना है। भाग संख्या 1 वशेशर नाथ को आवंटित किया गया है और उन्हें 4,920 रुपये का भुगतान करना है। वादी और प्रतिवादी नंबर 1 को दी जाने वाली मुआवजे की राशि प्रतिवादी 2 से 9 की संपत्तियों पर एक शुल्क होगी, जिसे निष्पादन द्वारा वसूल किया जा सकता है। वशेशर नाथ को आवंटित सीढ़ी का उपयोग शेष पार्टियों द्वारा एक वर्ष के लिए किया जा सकता है, जिसके बाद प्रत्येक पार्टी को अपनी व्यवस्था करनी होगी और संपत्ति नंबर 1 का मालिक उस अवधि के बाद सीढ़ी के उपयोगकर्ता को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तदनुसार एक अंतिम डिक्री पारित की जाती है। वादी शेष प्रतिवादियों से आनुपातिक रूप से मुकदमे का खर्च पाने का हकदार होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से चौधरी रूप चंद, वकील।

एच. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. एल. सरीन, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी 10 की ओर से।

वाई. पी. गांधी, वकील, प्रतिवादी 2.

निर्णय

तुली, जे.— नौनिहाल सिंह नामक व्यक्ति ने करनाल में स्थित एक इमारत में अपने हिस्से के विभाजन द्वारा वास्तविक कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। याचिका में कहा गया था कि इमारत खाली की गई संपत्ति थी और मंगल दास (यहां याचिकाकर्ता) द्वारा 40,000 रुपये में खरीदी गई थी। वादी ने दावा किया कि वह उस इमारत में 9931/40000 वें हिस्से का हकदार था। बाकी तथ्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम केवल अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए मुकदमे के मूल्य से चिंतित हैं। वाद के पैरा 8 में, वादी ने कहा कि अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्य 9,931 रुपये था, अर्थात्, इमारत में उसके हिस्से का मूल्य। राज्य सरकार की मंजूरी से उच्च न्यायालय ने वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम बनाए और संबंधित नियम उच्च

न्यायालय के नियम और आदेश, खंड 1 के अध्याय 3-सी में नियम 8 है। इस नियम के अनुसार, संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमों का क्षेत्राधिकार मूल्य वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 3, 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार पूरी संपत्ति के मूल्य पर निर्धारित किया जाना है। इस नियम के अनुसार, अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मूल्य 40,000 रुपये होना चाहिए जो वाद में मुकदमा दायर करते समय संपत्ति के मूल्य के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था। इसके बजाय, वादी ने कहा कि अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मूल्य 9,931 रुपये था, अर्थात्, इमारत में उसके हिस्से का मूल्य। प्रतिवादियों ने वाद में बताए गए उस मूल्य पर आपत्ति नहीं की और न ही ट्रायल कोर्ट ने गलती का पता लगाया। सहमति से एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई और विभाजन का तरीका तय होने के बाद, एक अंतिम डिक्री पारित की गई। उस अंतिम डिक्री के खिलाफ, करनाल के जिला न्यायाधीश की अदालत में एक अपील दायर की गई थी, इस विश्वास में कि अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्य 9,931 रुपये था। उस न्यायालय के समक्ष यह कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त ने संपत्ति का मूल्य 80,000 रुपये निर्धारित किया था और यह अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्य था। निचली अपीलीय अदालत ने उस दलील को स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि अपील का ज्ञापन उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस अदालत में वह अपील प्रस्तुत की जो लंबित है। उन्होंने वर्तमान याचिका भी दायर की जिसमें इस आदेश को चुनौती दी गई है। विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने इस न्यायालय में प्रस्तुति के लिए अपील के ज्ञापन को वापस कर दिया।

(2) इस याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने इस सिद्धांत पर भरोसा किया है कि वादी द्वारा तय किए गए मुकदमे का मूल्य और प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अपील सहित मुकदमे के बाद के सभी चरणों के लिए निर्णायक हो जाता है। इसलिए, वाद के मूल्यांकन पर, जैसा कि वाद में कहा गया है, जिला न्यायाधीश के पास निस्संदेह अपील को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था। विद्वान वकील ने कहा कि उनके पास इस न्यायालय में प्रस्तुति के लिए अपील के ज्ञापन को वापस करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वास्तव में, वकील ने यहां तक कहा कि उसे अपने समक्ष अपील के क्षेत्राधिकार मूल्य को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे खेद है कि मैं विद्वान वकील की इस दलील से सहमत नहीं हो सका। वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 जो इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है, निम्नानुसार है: -

"11(1). सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 578 में किसी बात के होते हुए भी, किसी वाद या अपील के अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के कारण किसी प्रथम दृष्टया न्यायालय या निचली अपीलीय अदालत, जिसके पास वाद या अपील के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, पर अपीलीय

न्यायालय द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि-

- a) आपत्ति पहली बार की अदालत में उस सुनवाई के दौरान या उससे पहले ली गई थी, जिस पर मुद्दों को पहले तैयार किया गया था और रिकॉर्ड किया गया था, या निचली अपीलीय अदालत में उस अदालत में अपील के ज्ञापन में, या
 - b) अपीलीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, मुकदमा या अपील का अधिक मूल्यांकन या कम मूल्य था, और यह कि उसके अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन ने मुकदमे या अपील के निपटान को इसके गुण-दोष के आधार पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। बशर्ते कि खातों के लिए एक मुकदमे में मुकदमे के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्य अंतिम और निर्णायक होगा और अपील या संशोधन में चुनौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (2) यदि आपत्ति उपधारा (1) के खंड (a) में उल्लिखित तरीके से ली गई थी, लेकिन अपीलीय न्यायालय उस उप-धारा के खंड (b) में उल्लिखित दोनों मामलों से संतुष्ट नहीं है और उसके समक्ष अपील के अन्य आधारों के निर्धारण के लिए आवश्यक सामग्री है, तो वह अपील का निपटान इस तरह करेगा जैसे कि प्रथम दृष्टया न्यायालय या निचली अपीलीय अदालत में अधिकार क्षेत्र का कोई दोष नहीं था।
- (3) यदि आपत्ति को इस तरह से लिया गया था और अपीलीय न्यायालय उन दोनों मामलों से संतुष्ट है और उसके समक्ष वे सामग्री नहीं है, तो वह निपटने के लिए आगे बढ़ेगा

अपील की सुनवाई के संबंध में न्यायालय पर लागू नियमों के तहत अपील के साथ; लेकिन अगर यह मुकदमे या अपील को रिमांड पर लेता है, या 'प्रेम करता है और मुकदमे के लिए मुद्दों को संदर्भित करता है, या अतिरिक्त सबूत लेने की आवश्यकता होती है, तो यह मुकदमे या अपील पर विचार करने के लिए सक्षम अदालत को अपना आदेश देगा।

(4) अपीलीय न्यायालय के संबंध में इस धारा के उपबंध, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 622 या तत्समय लागू अन्य अधिनियमन के अधीन पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय पर लागू होंगे।

(5) यह धारा जुलाई, 1887 के पहले दिन से लागू होगी।”

इस धारा के अनुसार, अपीलीय न्यायालय वाद या अपील के अधिक मूल्यांकन और कम मूल्यांकन पर आपत्ति पर विचार कर सकता है यदि उसे लगता है कि अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन ने मुकदमे या अपील के निपटान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इस मामले में, विद्वान निचली अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आयुक्त द्वारा रखे गए मूल्यांकन और ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति का मूल्य 80,000 रुपये था और इसलिए, उच्च न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए थी। मेरी राय में, यह इस मामले को देखने का उचित तरीका नहीं था। उचित तरीका यह देखना था कि ऊपर उल्लिखित मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 9 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम 8 के अनुसार मुकदमा दायर करते समय वाद दायर करते समय संपत्ति का मूल्य क्या था। उस नियम के अनुसार, क्षेत्राधिकार मूल्य 40,000 रुपये होना चाहिए और उस मूल्यांकन पर अपील उच्च न्यायालय में थी, न कि जिला न्यायाधीश के लिए। इसलिए, निचली अपीलीय अदालत ने उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए अपील ज्ञापन को सही ढंग से लौटा दिया क्योंकि उस न्यायालय द्वारा उसका निर्णय अधिकार क्षेत्र से परे होता और निश्चित रूप से पक्षकारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करता क्योंकि उस मामले में दूसरी अपील इस न्यायालय में रखी जाती जो बहुत सीमित प्रकृति की होती है। यदि मुकदमे का मूल्य नियम 8 पूर्वोक्त के अनुसार 40,000 रुपये माना जाता है, तो पहली अपील इस न्यायालय में निहित है और उस अपील में पार्टियां अदालत से तथ्य के साथ-साथ कानून के सवालों पर जाने के लिए कह सकती हैं, जबकि दूसरी अपील में केवल कानून के सवालों पर विचार किया जाना है। इसलिए, जिला न्यायाधीश द्वारा अपील के निर्णय ने पक्षकारों को पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया होगा। इसलिए, मेरा विचार है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने गुण-दोष के आधार पर अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता को अपील ज्ञापन वापस करने का

आदेश पारित किया।

(3) याचिकाकर्ताओं के वकील ने *किरण सिंह और अन्य बनाम चमन पासवान व अन्य (1)* के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपने लॉर्डशिप के फैसले पर भरोसा किया है। उस निर्णय का अनुपात लागू होता यदि जिला न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र में दोष को देखे बिना गुण-दोष के आधार पर अपील का फैसला किया होता, और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय में उनके अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाई गई थी। यह सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब मामला अपीलीय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है और अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वाद के अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के कारण उसके पास अपील की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसी तरह की टिप्पणियां याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों पर लागू होती हैं, अर्थात्, *भुजन श्रीरामुलु चेट्टी और अन्य (2)*, *अविसा बी बी बनाम मुहम्मद सदाकातुला मार्केर और अन्य (3)*, *सरदारनी हमीर कौर बनाम कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऑफ सरदार बलवंत सिंह की संपत्ति, अमृतसर (4)*, *खुदैजातुल कुबरा और एक अन्य बनाम अमीना खातून और एक अन्य (5)*, *प्रिया नाथ रॉय बनाम श्रीधर चंद्र रॉय और अन्य (6)* और *देवनाथ मिस्सिर और अन्य बनाम चंद्रमान मिस्सिर और अन्य (7)*। देवनाथ मिस्सिर मामले (सुप्रा) में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि "मूल्यांकन के मामले को अपीलीय अदालत में भी अधिकार के मामले के रूप में फिर से नहीं खोला जा सकता है, लेकिन यह केवल मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 में प्रदान की गई सीमा के तहत किया जा सकता है"।

- (1) ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 340.
- (2) ए.आई.आर. 1945 मैड. 194.
- (3) ए.आई.आर. 1947 मैड. 407.
- (4) ए.आई.आर. 1932 लाह. 538.
- (5) ए.आई.आर. 1924 इला. 388.
- (6) ए.आई.आर., 1942 कैल. 60
- (7) ए.आई.आर. 1958 पटना 430,

मैंने ऊपर कहा है कि मुकदमा मूल्यांकन अधिनियम की धारा 11 के तहत, अपीलीय न्यायालय के लिए मुकदमा के मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति की जांच करना खुला था, यदि यह वैधानिक नियम के अनुसार नहीं था जो मुकदमों को नियंत्रित करता था। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि वादी को संपत्ति के मूल्यांकन पर अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्यांकन करना था, न कि अपने स्वयं के हिस्से के लिए और यह पता लगाना अदालत का कर्तव्य था कि उचित नियम का अनुपालन किया गया था या नहीं। संपत्ति का मूल्य वाद पत्र में ही उपलब्ध था और इसे न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना था ताकि यह नहीं कहा जा सके कि

प्रतिवादियों ने अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मूल्य पर आपत्ति नहीं की है, अदालत के पास इस मामले में जाने की कोई शक्ति नहीं थी। इन कारणों से, मुझे इस याचिका में कोई दम नहीं दिखता है जिसे खारिज कर दिया जाता है लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

**आशिमा
गर्ग**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरूग्राम, हरियाणा**